

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)
secretarylaw@rajasthan.gov.in

क्रमांक प0 12(4)राज/वाद/2019

जयपुर, दिनांक: 31-1-2022

::आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ जयपुर में राज्य सरकार की ओर से आपराधिक/सिविल प्रकरणों की पैरवी करने हेतु नियुक्त समस्त राजकीय अधिवक्तागण/गवर्नमेंट काउंसिल्स को विभागीय आदेश क्रमांक प.12(3)राज/वाद/18 जयपुर दिनांक 14.08.18 के द्वारा देय Retainership, Appearance fees, Drafting and Settling charges की दर में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है:-

S.No	Name of Post	Retainership	Per day appearance fees	Drafting & Settling Charges (per case)
1	Govt. Counsel	37,500	1500	1400
2	Addl. Govt. Counsel	30,300	1500	1400
3	Dy. Govt. Counsel	27,300	1500	1400
4	Asstt. Govt. Counsel	22,800	1500	Nil
5	Addl. Govt. Advocate	30,300	1500	1400
6	Dy. Govt. Advocate	27,300	1500	1400
7	Asstt. Govt. Advocate	22,800	1500	Nil

1. इन विधि अधिकारियों को देय Retainership की दर में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अर्थात् 1 अप्रैल से 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
2. इन विधि अधिकारियों को Retainership, per day Appearance fees and Drafting & Settling charges के उपयुक्त दरों के संशोधन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रावधान विधि एवं विधिक कार्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(12)राज/वाद/2006 दिनांक 26.10.2010 एवं इसके पश्चात इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार यथावत प्रभावी माने जायेंगे।
3. Retainership, per day Appearance fees and Drafting & Settling charges में संशोधित दरें आदेश जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावी होंगी।
उक्त आदेश वित्त (व्यय-5) विभाग की आई0डी0 संख्या 102105962 दिनांक 28.01.2022 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

६०

(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
9. राजकीय अधिवक्ता सह अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त गवर्नमेंट कौंसिल्स/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल्स/उप राजकीय अधिवक्ता/डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल्स/सहायक राजकीय अधिवक्ता/असिस्टेंट गवर्नमेंट कौंसिल्स, जयपुर/जोधपुर।
11. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/कनिष्ठ विधि अधिकारी, विधि विभाग।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, राजकीय वादकरण, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

31/1/2022

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण